found to be successful in preventing illegal constructions and discouraging builders;

(d) if not, whether Government contemplate to make the laws more comprehensive to check such construction; and

(c) if so, the steps taken by Government in this direction?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) According to Municipal Corporation of Delhi, the number of FIRs lodged during the last 3 years is as follows:

(i) 1990— 218
(ii) 1991— 364
(iii) 1992— 355
(upto 31.10.92).

(b) to (c) Compounding of such offences is also permissible under the law. The D.M.C. Act was further strengthened by amending it in 1984 making *inter alia* unauthorised construction a cognizable offence. The Act also empowers the sealing of the unauthorised constructions as well as their demolition.

विलम्बित कोयला परियोनजाओं को पूरा किया जाना

*291. श्री ईश दत्त यादव: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी परियोनजाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किया गया है जो अपने निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकी है; और

(ख) यदि कोई प्रयास नहीं किया गया है तो जिन परियोनजाओं को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका है उन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ नयमेगौड़ा: (क) और (ख) कोल इंडिया लि॰ और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में वर्तमान में 50 कोयला परियोजनाएं (जिसमें 6 गैर-खनन परियोजनाएं शामिल हैं) को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। इनमें से (18 कोयला परियोनजाएं) जिसमें 6 गैर-खनन परियोजनाएं भी शामिल हैं), जोकि मार्च, 1992 तक पूरा की जानी थी, को भूमि अधिग्रहण में आई रुकावटें और इससे संबंधित पुनर्वास समस्याओं, उपकरणों की आपूर्ति विलंब, "टर्न-की" ठेकेदारों द्वारा किया गया विलंब और विपरीत भू-खनन परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सका।

कोयला मंत्रालय इन लम्बित परियोनजाओं के कार्यान्वयन में घनिष्ठतम निगरानी रख रहा है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ लंबित पड़े भूमि को मामलों की तत्कालिकता से निपटाने और उपकरण निर्माताओं द्वारा जल्दी आपूर्ति/उपकरण चालू करने को सुनिश्चय कराने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए कार्रवाई हेतु सामरिक कार्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया है और कोयला कंपनियों को उपचारात्मक उपाय करने को कहा गया है। इन अनुवर्ती उपायों के परिणामस्वरूप इन लंबित परियोनजाओं के विकास में आने वाली काफी रुकावटों को दूर किया जा सकता है।

Collaboration with U.S.A. for Building Gas Turbine Engines

*292. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Memorandum of Understanding has been signed between India and the U.S. General Electric Company for building LM-2500 gas turbine engines for the naval ships; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): COLLABORATION WITH U.S.A. FOR BUILDING GAS TURBINE ENGINES (a) and (b) A ten year licence agreement was signed on 7.11.86 between Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) and General Electric, USA for the manufacture of LM-2500 rharinised aero-derivative gas turbines. The licence agreement provides for phased manufacturing of the engine in its marine and industrial versions with increasing indigenous content in three phases. The technology transfer for each Phase